अनुदान संख्या 10 – कोयला मंत्रालय
GRANT No. 10–MINISTRY OF COAL

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	288,00,00	422,00,00	322,32,21	–99,67,79
पूरक	Supplementary	134,00,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				99,61,23
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–		30,00,00	22,95,16	–7,04,84
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				7,01,57

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (9967.79 लाख रु.) नवंबर, 2007 और मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 13400.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 74 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 24 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.9967.79 lakhs) constituted 74 percent of the supplementary grants of Rs.13400.00 lakhs obtained in November, 2007 and March, 2008 and 24 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451"	Major Head "3451"				
सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Secretariat – Economic Services				
मू.	O.	1144.00	631.89	633.59	+1.70
पु.	R.	–512.11			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2803" कोयला और लिग्नाइट	Major Head "2803" Coal and Lignite				
मू.	O.	22541.00			
पू.	S.	12719.00	28310.88	28302.62	–8.26
पु.	R.	–6949.12			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रा	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	2500.00			
			. .	. .	. .
पु.	R.	–2500.00			

(I) 2500.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "2552" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत चार मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) "कोयला और लिग्नाइट - अन्य व्यय" -

(i) "क्षेत्रीय अन्वेषण" - 725.00 लाख रु.;

(ii) "पर्यावरणीय उपाय और अवतलन नियंत्राण" - 350.00 लाख रु.;

(iii) "विस्तृत तलभेदन" - 1180.00 लाख रु.; और

(खा) "कोयला और लिग्नाइट - अनुसंधान और विकास - अन्य स्कीमें" - 245.00 लाख रु.।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान कोयला कंपनियों द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्रा में कार्यान्वित की जाने वाली कोई स्कीम न होने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "3451" - "सचिवालय - कोयला मंत्रालय " के अंतर्गत 510.41 लाख रु. की बचत (1144.00

(I) Provision of Rs.2500.00 lakhs remained wholly unutilised in four cases under Major Head "2552" – under the following heads:-

(A) "Coal and Lignite – Other Expenditure" –

(i) "Regional Exploration" – Rs.725.00 lakhs;

(ii) "Environmental Measures and Subsidance Control" – Rs.350.00 lakhs;

(iii) "Detailed Drilling" – Rs.1180.00 lakhs; and

(B) "Coal and Lignite – Research and Development – Other Schemes" – Rs.245.00 lakhs.

Provisions under the above four heads remained unutilised due to non-existence of any scheme to be implemented in North Eastern Region by the Coal Companies.

(II) Under Major Head "3451" – " Secretariat – Ministry of Coal" - saving of Rs.510.41 lakhs

लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) रिक्त पदों के भरे न जाने, कम चिकित्सा दावे प्राप्त होने, उपस्करों की खरीद को मूर्तरूप न दिए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''2803'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''अनुसंधान और विकास - अन्य स्कीमें'' - 968.00 लाख रु. की बचत (2254.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निविदा देने की प्रक्रिया में विलंब होने की वजह से कतिपय परियोजनाओं को कार्यान्वित न किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''अन्य व्यय'' -

(i) ''क्षेत्रीय अन्वेषण'' - 2860.00 लाख रु. की बचत (6359.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) लक्ष्यों की प्राप्ति में कमी आने की वजह से खनिज अन्वेषण निगम लि. से बिलों के प्राप्त होने में विलंब होने के कारण हुई।

(ii) ''पर्यावरणीय उपाय और अवतलन नियंत्राण'' - 1313.00 लाख रु. की बचत (3112.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भूमि विवाद और न्यायालयीन मामलों की वजह से कतिपय स्कीमों को कार्यान्वित करने में विलंब होने और संबद्ध राहत एवं पुनर्वास समस्याओं के कारण हुई।

(iii) ''विस्तृत तलभेदन'' - 6450.00 लाख रु. की बचत (10450.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) तलभेदन को बाहरी स्रोतों से कराने के लिए निविदा देने की प्रक्रिया में विलंब होने और तलभेदन लक्ष्यों में कमी आने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (4675.16 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष ''2803'' - ''कोयला और लिग्नाइट कंपनियों को सहायता'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत 12719.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया

(against the sanctioned provision of Rs.1144.00 lakhs) was due to non-filling up of vacant posts, receipt of less medical claims, non-materialisation of purchase of equipments.

(III) Under Major Head "2803" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Research and Development – Other Schemes" - saving of Rs.968.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2254.00 lakhs) was due to non-implementation of certain projects owing to delay in tendering process.

(B) "Other Expenditure" -

(i) "Regional Exploration" – saving of Rs.2860.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6359.00 lakhs) was due to delay in receipt of bills from Mineral Exploration Corporation Limited owing to shortfall in achievement of targets.

(ii) "Environmental Measures and Subsidance Control" – saving of Rs.1313.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3112.00 lakhs) was due to delay in implementation of certain schemes and associated Relief and Rehabilitation problems owing to land dispute and court cases.

(iii) "Detailed Drilling" – saving of Rs.6450.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10450.00 lakhs) was due to delay in tendering process for outsourcing of drilling and reduction in drilling targets.

2.(I) The above savings were partly (Rs.4675.16 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.12719.00 lakhs under Major Head "2803" – "Assistance to Coal and Lignite Companies" - under the following heads:-

था:-

(का) ''कोयला पूरित क्षेत्रों में परिवहन संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए उपकर (उत्पाद शुल्क) संग्रहण के लिए अदायगी'' - 138.26 लाख रु.।

(खा) ''कोयला और कोक पर उपकर (उत्पाद शुल्क) संग्रहण के लिए अदायगी'' - 4536.90 लाख रु.।

(A) "Payment against Collection of Cess (Excise Duty) towards Development of Transportation Infrastructure in Coal Field Areas" - Rs.138.26 lakhs.

(B) "Payment against Collection of Cess (Excise Duty) on Coal and Coke" – Rs.4536.90 lakhs.

3. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''4803'' कोयला और लिग्नाइट पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4803" Capital Outlay on Coal and Lignite				
मू.	O.	3000.00	2298.43	2295.16	–3.27
पु.	R.	–701.57			

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

(I) ''अन्य व्यय - कोयला वहन क्षेत्रों का अधिग्रहण'' के अंतर्गत 704.84 लाख रु. की बचत (3000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कोल इंडिया लि. से प्रतिपूर्ति के दावे प्राप्त न होने के कारण हुई।

(I) Under "Other Expenditure – Acquisition of Coal Bearing Areas" - saving of Rs.704.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3000.00 lakhs) was due to non-receipt of reimbursement claims from Coal India Ltd.

4. ***कोयला खान श्रमिक आवास तथा सामान्य कल्याण निधि:-***

कोयला खान कल्याण निधि अधिनियम, 1947 के अधीन कोयले और कोक के प्रेषण पर लगाए गए उपकर की प्राप्तियां शीर्ष ''0038'' - ''संघ उत्पाद शुल्क'' को जमा की जाती हैं तथा बजटीय आवंटन के माध्यम से कुछ राशि निधि को अंतरित कर दी जाती थी। यह अधिनियम

4. ***Coal Mines Labour Housing and General Welfare Fund:-***

The proceeds of cess levied on the despatch of Coal and Coke under Coal Mines Welfare Fund Act, 1947 are credited to the head "0038" - "Union Excise Duties" and some amount out of it was being transferred to the fund through budgetary allocation. The said Act has been repealed on 1st October, 1986, however all the amounts were not transferred to Consolidated Fund of India.

01 अक्तूबर, 1986 को निरस्त कर दिया गया; तथापि, संपूर्ण राशि भारत की समेकित निधि को अंतरित नहीं की गई थी।

वर्ष 2007-08 के लिए निधि का लेखा निम्नानुसार था:-

The account of the fund for the year 2007–08 was as follows:-

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

अथशेष	Opening Balance	11,97,06
प्राप्तियां	Receipts	. .
अदायगियां	Payments	10,55
अंतशेष	Closing Balance	11,86,51